भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AC 075791

NOTARY
GOVT. OF U.P. (INDIA)

4-4-14

Virendra Singh Kashyap,
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P.
Regd. No. 68 (24) 2009

Regd. No. 68 (24) 2009

प्ररूप—26

(नियम 4क देखिए)

40. फर्रुखाबाद .... निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग—क

मैं रामकिशोर द्विवेदी .... **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. [illegible] आयु 50 .... वर्ष, जो [illegible] (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(1) [illegible] समाजवादी दल .... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 110 फर्रुखाबाद .... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 337 .... के क्रम सं. 610 ...... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9919277185 .... है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) .... शून्य .... है और मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (यदि कोई हो) ..... शून्य .... है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	AHSPD5224C	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित–1	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित–2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित–3	शून्य	शून्य	शून्य

Virendra Singh Kashyap
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P.)
Regd. No. 68 (24) 2009

4-4-14

रामकिशोर द्विवेदी

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गये थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान में लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

4-4-14

Virendra Singh Kashyap,
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P.)
Regd. No. 68 (24) 2009

राम किशोर (पंकज)

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक वर्ष के लिए कारावास का दण्डादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभ्यर्थी उपरोक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं

(7) मैं, मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी:–

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
2. जमा/विनिधान की दिशा में क्रम सं0, रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने है।
3. सूचीबद्ध कंपनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

4-4-14

Virendra Singh Kashyap
Advocate- NOTARY
Tah Sadr, Farrukhabad (U.P.)
Regd No. 65 (24) 2009

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	2600	शून्य	1,000	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1600	शून्य	2,500	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसके अंतर्गत फर्म कंपनी न्यास आदि भी हैं, को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटर यान/वायुयान/जलयान (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	1500 रु शून्य/ग्राम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	सकल कुल मूल्य	65700	शून्य	36,000	शून्य	शून्य

5-4-14

Virendra Singh Kashyap,
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P)
Regd. No. 68 (24) 2009

रामकिशोर (द्विवेदी)

ख— स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पणी:—

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए, संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण दिया जाना है।
2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में प्रथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	कृषि भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	12 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर–कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	1 [illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11-4-14

Virendra Singh Kachva,
Advocate-NOTARY
Teh. Sadr, Farrukhabad (U.P.
... 2009

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	[illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1500 [illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	[illegible] फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	1,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[signature] 14-4-14

Virendra Singh Kashya,
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P.
Regd. No. 68 (24) 2009

[signature]

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष वह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14-4-2014

Virendra Singh Kashyap,
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P.)
Regd. No. 68 (24) 2009

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

क– स्वयं ....खेती.........

ख– पति या पत्नी ....गृह कार्य.........

(10) **मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :**

(प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालीय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

भाग–ख

(11) **क्रम क के (1) से (10) में तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण**

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी राम किशोर (द्विवेदी)
2.	डाक का पूरा पता	इस्माइलगंज सानी, फर्रुखाबाद
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	40 फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	संयुक्त समाजवादी दल
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य शून्य शून्य शून्य

7.	.........का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य
(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

Virendra Singh Kashya,
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P.
Regd. No. 68 (24) 2009

4-4-14

रामकिशोर (द्विवेदी)

8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) ———की		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I. सरकारी शोध्य (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I. सरकारी शोध्य (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II. बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख)-मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 4-4-14 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी

Virendra Singh Kashyap
Advocate-NOTARY
Teh. Sadr, Farrukhabad (U.P.)
R. I. No. 65 (24) 2009

4-4-14

नोटः–

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष ली जानी चाहिए।

3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

नोट 5 :

अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ–पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं0 2008 की सं0 121–रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एंव अन्य में दिये गये दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हुये हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिये एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिये कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : "शून्य" या "लागू नहीं होता" या "ज्ञात नहीं है" , जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शायी जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है, तो नामांकन पत्रों की जॉच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किये जाने के लिये उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 :

शपथ पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध करायी जानी चाहिए–

मेरा टेलीफोन नं0 9919277185............ है/हैं,

मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) ......शून्य.................... है,

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) ......शून्य.................... है।

3-4 रामकिशोर (त्रिवेदी)

Solemnly affirmed before me on this day of 4-4-14 200.. between the hours by Shri Ram Kishore Trivedi S/o Late Kailash Nath Trivedi Who has heard and understood its contents identified by Shri Brijesh Kumar Adv.

Identified by

4-4-14

Virendra Singh Kashyap,
Advocate- NOTARY
Tah. Sadr, Farrukhabad (U.P.
Regd. No. 68 (24) 2009

4/4/2014

ब्रजेश कुमार (एडवोकेट)
रजि0 नं0 166
[illegible]
कचेहरी [illegible]